

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल आर/2203/2003/भीलवाडा नारु बनाम भवानीशंकर व राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-9-18	<p style="text-align: center;">एकल-पीठ श्री धूलराम कसवॉ, सदस्य</p> <p>उपस्थित:- (1) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी (2) श्री मदन लाल गूर्जर अधिवक्ता प्रत्यर्थी</p> <p style="text-align: center;">निर्णय दिनांक :</p> <p>यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय दिनांक 28-3-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।</p> <p>2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बडला तहसील कोटडी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 2 बीघा 7विस्वा, खसरा नम्बर 1300 रकबा 2 बीघा का खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 था। विवादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया। उक्त ऋण की वसूली हेतु तहसीलदार कोटडी द्वारा अदालती आदेश से उक्त भूमि नीलाम की गई। नीलामी में उक्त भूमि अपीलार्थी द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त किया गया। इस नीलामी द्वारा क्रेता ने प्राप्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1014 भरवाया जिसे तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 28-11-94 द्वारा निरस्त कर दिया। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के समक्ष की गई जिन्होंने प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में तहसीलदार ने दिनांक 16-1-02 को अपने पूर्व आदेश को बहाल रखा। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28-3-03 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्विती अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।</p> <p>3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।</p> <p>4- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल आर/2203/2003/भीलवाडा नारु बनाम भवानीशंकर व राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपीलार्थी ने नीलामी में खरीदी है तथा यह नीलामी अदालती आदेश से तहसीलदार द्वारा की गई थी तथा उक्त नीलामी में किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी थी। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति से नहीं खरीदी है बल्कि अदालती आदेश की पालना में तहसीलदार से खरीदी है तथा उक्त नीलामी यह शर्त भी नहीं थी कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सवर्ण जाति का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तब उल्लंघन होगा जबकि अपीलार्थी जो सवर्ण जाति का व्यक्ति है, सीधे ही प्रत्यर्थी अनुसूचितजाति के व्यक्ति से क्रय करता। जबकि यहां पर तो अपीलार्थी ने अदालती आदेश से तथा किसी प्रकार की शर्त न होने के बाबजूद उक्त भूमि प्रतिफल देकर क्रय की थी। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जो निर्णय पारित किये हैं वह विधिविरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।</p> <p>5- प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है जिसने उक्त आराजी पर पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था किन्तु समय पर किश्तें जमा नहीं कराने के कारण उक्त भूमि नीलाम की गई। जिसे खुलेआम जनता के सामने नीलाम नहीं किया गया। प्रत्यर्थी ने दिनांक 8-10-2001 को कलेक्टर भीलवाडा(प्रभारी अधिकारी) प्रशासन गांवों के संग शिविर बडला तहसील कोटडी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वह बैंक की सारी रकम देने को तैयार है। जिस पर तहसीलदार कोटडी से जांच कराई किन्तु तहसीलदार के समक्ष इस प्रकरण सम्बन्धी मामला पूर्व से विचाराधीन होने से प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित न होना अंकित कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्ति को नीलाम की गई है जो नियम विरुद्ध है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में 2007(2) डी एन जे राज.726 की नजीर पेश की।</p> <p>6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल आर/2203/2003/भीलवाडा नारु बनाम भवानीशंकर व राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>7- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसके खातेदारी की है और क्रेता जिसको भूमि हस्तान्तरित की गई है वह जाति से सवर्ण है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी के अनुसार अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर प्रतिबन्ध है। इसलिये तहसीलदार ने अपीलार्थी के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण को निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2007(2)डी एन जे राज.726 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-</p> <p>16. When provisions contained in two enactments are before a court in consideration of particular matter, it has to make an attempt to harmonies them both and make a homogeneous reading in such a way that both the enactments remain workable. In view of the fact that transfer of agricultural land by way of sale has been specifically barred by Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, if such sale involves the transfer of land owned by a member of Schedule Caste or Schedule Tribe to one who is not a member of Schedule Caste or a Scheduled Tribe, in my considered view, this being the intention of the legislature, the same shall have to be respected and therefore even if it is a case of property mortgaged with the Bank, such property if auctioned in favour of a person who is not a member of the caste belonging to the owner of that property, the transfer of such property even by a public auction would be hit by the provisions of Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. This is so because sale by way of auction is simply a mode of transfer and would certainly attract the bar contained in Section 42 Supra.</p> <p>17- Even otherwise, the respondent when they themselves conveyed to the petitioners that the outstanding dues were only Rs. 4411/- as</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल आर/2203/2003/भीलवाडा नारु बनाम भवानीशंकर व राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>on 31-5-1981, sale by auction of the entire 10 bighas and 10 biswas of the land of the petitioners for a sum of Rs. 37401/- could not be justified in law just because according to the respondents, sale of part of land could not get the proper value of. According to the petitioner, the auction for a sum of Rs. 37401/- was highly under valued. This further explains why the legislature has extended the protection of Section 42 of weaker sections of the society such as scheduled castes and Scheduled Tribes. But then, this observations is besides the basic finding recorded as above that the sale of the land of the petitioners to the respondent No. 3 was null and void as being hit by statutory bar contained in Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act.</p> <p>18- In view of what has been discussed above, the writ petition is allowed and the auction sale in favour of respondent No.3 by the respondent no. 2 is held to be illegal as violative of Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act and accordingly the petitioners are held entitled to be restored back in possession of the land in dispute. The concerned Tehsildar shall ensure compliance of this order within two months from the date copy of this judgment is produced before him.</p> <p>8- उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(धूकलराम कसवों) सदस्य</p>	